प्राथमिकता

संख्या- 90/2016/2582(1)/33-3-2016-268/2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- नाम से,
समस्त जिलाधिकारी।

2- नाम से,
समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 21 नवम्बर, 2016**

विषयः- डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों एवं अन्य ग्रामों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण का मौके का भौतिक सत्यापन कराकर सत्यापन की संकलित आख्या उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-50/ 2016/2415/33-3-2006 -268/2016, दिनांक 15.09.2016 तथा पत्र संख्या-59/ 2016/2415/33- 3-2006-268/2016, दिनांक 4.10.2016 तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या- 2582/33-3-2016-268/20126 दिनांक 24.10.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की मौके का भौतिक सत्यापन की संकलित रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016 तक प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। दो माह व्यतीत होने के उपरान्त अनुपालन आख्या शासन को नहीं भेजा गया है, यह स्थिति अच्छी नही है।

2- उक्त संबंध में पुनः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में में लाया कि कतिपय जनपदों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित शौचालय निष्प्रयोज्य है अथवा उनका प्रयोग अन्य कार्यो में हो रहा है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित शौचालय का शत प्रतिशत मौके का भौतिक सत्यापन करा लिया जाय।

3- गांव में मौके के भौतिक सत्यापन के दौरान सफाई कर्मी द्वारा ली गयी सेवाओं से गांव में साफ-सफाई/स्वच्छता के संबंध में टिप्पणी एवं प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाय।

shasnadeshup.nic.in

4- यह भी अनुरोध है कि अभियान में पंचायती राज विभाग से भिन्न विभागों के अधिकारियों की टीम के माध्यम से तथा जनपद स्तर पर विकास कार्यो की समीक्षा हेतु नामित नोडल अधिकारी से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित समस्त शौचालयों का शत प्रतिशत मौके का भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। सत्यापन के दौरान यदि शौचालय अक्रियाशील पाये जाते हैं तो अभियान चलाकर उनको क्रियाशील किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए, साथ ही साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी शासन को उपलब्ध कराया जाय।

यदि किसी ग्राम पंचायत में मानक के अनुसार शौचालय का निर्माण न होने तथा आवंटित धनराशि आहरित होने के बाद शौचालय के निर्माण में धनराशि के दुरूपयोग की स्थिति प्रकाश में आती है तो दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जाय। गंभीर प्रकृति की अनियमितता में, यदि शासन/निदेशालय स्तर पर कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो तो अभिमत/स्पष्ट संस्तुति के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय। पंचायतीराज विभाग से भिन्न विभागों के अधिकारियों की टीम एवं जनपद स्तर विकास कार्यों की समीक्षा हेतु नामित नोडल अधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शौचालय निर्माण के भौतिक सत्यापन कार्य/अभियान के सफल बनाने में तथा खुले में शौंच मुक्त कराने में रूचि न लेने की दशा में संबंधित अधिकारी के संबंध में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2016-17 में अंकन करते समय संज्ञान में लिया जाय।

प्राथमिकता के आधार पर मौके का सत्यापन कराते हुए समस्त सत्यापन की संकलित रिपोर्ट भी एक पक्ष में शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया प्रकरण की महत्ता व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना की प्राथमिकता के दृष्टिगत व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों के मौके का भौतिक सत्यापन करने में प्रत्येक स्तर पर सहयोग देने के लिए निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं निर्देश संबंधित को दिये जाने हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग/ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश।

shasnadeshup.nic.in

3- निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- समस्त उप निदेशक (पं0) पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- निजी सचिव, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)

प्रमुख सचिव।

shasnadeshup.nic.in